निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 40/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

नाथू पुत्र स्व. श्री भेरूराम जाति जाट निवासी ग्राम घेघा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र स्व. श्री मोहरू राम,
2. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्री मोहरू राम,
3. रामलाल पुत्र स्व. श्री मोहरू राम,
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री किशन लाल
5. मूलचन्द पुत्र स्व. श्री किशन लाल
6. रामगोपाल पुत्र स्व. श्री नाथूराम
7. रामेश्वर पुत्र स्व. श्री नाथूराम
8. मदन पुत्र स्व. श्री नाथूराम

   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम घेघा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
9. कजोड पुत्र धन्ना
10. कुम्मा पुत्र धन्ना
11. ग्यारसी लाल पुत्र काना
12. बनवारी लाल पुत्र काना
13. रामनारायण पुत्र काना
14. रमेश पुत्र काना
15. गोपाल पुत्र रूघा
16. जगदीश पुत्र रूघा
17. रामदेव पुत्र रूघा
18. श्रवण पुत्र रूघा
19. हनुमान पुत्र रूघा
20. देवीलाल पुत्र मुन्ना
21. रामनिवास पुत्र मुन्ना
22. संतोष कुमार पुत्र मुन्ना
23. कैलाश पुत्र झूंथा
24. बाबूलाल पुत्र झूंथा
25. मदन पुत्र झूंथा
26. रमेश पुत्र झूंथा
27. गोपाल पुत्र रामेश्वर
28. मालूराम पुत्र रामेश्वर
29. शंकर लाल पुत्र रामेश्वर

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

30. जगदीश पुत्र केशरा
31. मोहन पुत्र केशरा
32. नानू पुत्र केसरा
33. बद्रीनारायण पुत्र गोदया
34. रामपाल पुत्र सुवा
35. रामसहाय पुत्र छीतर
36. सीताराम पुत्र छीतर
37. हरिनाराण पुत्र छीतर

समस्त जाति जाट, निवासी घेघा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

38. रमेश पुत्र बजरंग लाल मीणा, निवासी गंगा विहार कालोनी, बगरू, जिला जयपुर।
39. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बजरंग लाल मीणा निवासी गंगाविहार कालोनी, बगरू, जिला जयपुर।
40. उप तहसीलदार बगरू जिला जयपुर
41. राजस्थान सरकार तहसीलदार सांगानेर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत सहायक कलक्टर द्वितीय, जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2023 ब उनवानी नाथू बनाम कल्याण सहाय व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री हिमांशु चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राजकुमार गठाला अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 08 की ओर से।

निर्णय दिनांक 01.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर द्वितीय, जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 83/2023 ब उनवानी नाथू बनाम कल्याण सहाय व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर द्वितीय, जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार गठाला ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद इन्तजार तामील हेतु नियत है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में भी प्रार्थी वादी का वाद खारिज किया जा चुका है जिसको पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिस्टोर करवाया गया इसके पश्चात प्रकरण पुनः अप्रार्थीगण की तामील अवलोकनार्थ नियत चला आ रहा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय प्रकिया के विपरीत जाकर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है जो न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से पूर्णया स्पष्ट है। प्रार्थी को उक्त न्यायालय से निष्पक्ष न्याय प्राप्त होने की कतई उम्मीद नहीं है और पक्षकारों को न्याया प्राप्त होने की उम्मीद नहीं हो, वहा पत्रावली को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त यह यह कहता है कि पक्षकारान के साथ निष्पक्ष न्याय होना चाहिये । अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है, परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर की है। इसलिए न्यायहित में इस प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है, तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/2023 ब उनवानी नाथू बनाम कल्याण व अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 20.08.2024 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल

कलेक्टर जिला जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner